न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 01/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/1

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
महेन्द्र कुमार माली पुत्र श्री भीमारामजी, जाति–माली, निवासी कोलीवाड़ा हाल सुमेरपुर, तहसील–सुमेरपुर, जिला –पाली राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव उपस्थित
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 30/3/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 619/2020 बअनवान सरकार बनाम महेन्द्र कुमार में पारित आदेश दिनाँक 19.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से अधिवक्ता अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सुमेरपुर के खसरा नम्बर 449 रकबा 6.71 वर्गमीटर गैर मुमकिन सड़क पर अपीलार्थी का कृषि मण्डी बाउण्ड्री के समीप केबिन लगा होना व अतिक्रमण मानकर हटाने के आदेश दिए गए है। केबिन हाथलारीनुमा है जो काफी वर्षो से केबिनो के समानान्तर लगा हुआ है जिसमें किसी प्रकार का आवागमन प्रभावित नहीं होता है न ही आवागमन में बाधा पैदा होती है अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर केबिन हटाने के आदेश जारी किए गए है आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। PWD की रिपोर्ट आने के बाद अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट का उक्त केबिन से ही जीवीकोपार्जन होता है तथा उसके परिवार का भरण पोषण कर रहा है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश के जरिये केवल मात्र अपीलार्थी को ही हटाया जाता है तो यह अन्याय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2020 को आगे पेशी नही दी गई एंव सीधे ही 31.07.2020 को एईएन पीडब्लुडी सुमेरपुर की रिपोर्ट के इन्तजार का अंकन करते हुए बाद में 19.08.2020 की पेशी पीडब्लुडी सुमेरपुर की रिपोर्ट के इन्तजार में रखी गई। तथा 19.08.2020 को अपीलार्थी की अनुपस्थित में PWD की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए तथा राजकीय भूमी पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिए जिन्हें निरस्त फरमावे पूर्व में नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा कायम की गई पत्रावली में PWD ने जांच रिपोर्ट में 47 फिट दूर रोड में होना बताया था उसके पास ही नगर पालिका ने सरस पार्लर का केबिन भी लगा हुआ है। अपीलार्थी को पटवार हल्का सुमेरपुर द्वारा दिनांक 21.12.2020 को बताने पर ज्ञात हुआ कि उसके विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किए गए है तब नकलें ली गई एवं दिनांक 01.01.2021 को यह अपील प्रस्तुत कर दी। इस कारण अपील अपीलांट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलार्थी PWD की सड़क सीमा में अतिक्रमण किया है जो सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड सुमेरपुर के द्वारा निवेदन करने पर मातहत अदालत द्वारा कार्यवाही की गई है प्रार्थी को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा अपीलार्थी के जवाब में अपीलार्थी ने स्वयं अपनी केबिन सरकारी भूमी में कई वर्षो से लगाकर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर मातहत अदालत द्वारा जो कार्यवाही की गई वह न्यायोचित एवं विधीसम्मत होने से अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील रोजगार एवं जीवनयापन से संबंधित होने से एवं अपीलार्थी के साथ अन्याय की जांच की जानी आवश्यक होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। जैर अपील राजकीय भूमी में बेदखल करने की कार्यवाही सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड सुमेरपुर द्वारा जरिये पत्रांक 310–12 दिनांक 29.02.2020 के द्वारा तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को निवेदन करने के उपरान्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:14 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः..........2

सहायक अभियन्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सड़क के मध्य बिन्दु से 12.10 मीटर की दूरी पर अपीलार्थी की केबिन स्थित है। तथा IRC के मानदण्डों के अनुसार अन्य जिला सड़क के मध्य बिन्दु से 15 मीटर दूरी तक किसी प्रकार के निर्माण की भी अनुमति नहीं है अपीलार्थी की केबिन जो स्थाई संरचना के रूप में है सड़क के मध्य बिन्दु से 12.10 मीटर की दूरी पर है तथा केबिन की लम्बाई 3.05 मीटर तक सड़क सीमा में स्थित है आगे कृषि मंडी परिसर है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट होने से सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सुमेरपुर के निवेदन पर कार्यवाही की गई है जो विधी सम्मत है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दिनांक 03.03.2020 को दर्ज किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस दिया जाकर जबाब प्राप्त कर PWD से रिपोर्ट ली जाकर उसके पश्चात ही आदेश पारित किए गए है अपीलार्थी ने अपने जवाब में स्वयं अतिक्रमण करना स्वीकार किया है इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर देते हुए PWD की रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई है। नगरपालिका सुमेरपुर के जो दस्तावेज पत्रावली संलग्न है उसमें कही भी नगरपालिका सुमेरपुर की भूमी होना स्पष्ट नहीं है न ही नगरपालिका सुमेरपुर द्वारा किसी प्रकार की इजाजत अथवा अनाप्ति ही जारी की गई है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट होने से मातहत अदालत द्वारा जैर अपील जुर्माना एवं बेदखली के आदेश पारित किए गए है जो विधीसम्मत होने से ऐसे आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी का कथन है कि उसके केबिन के समानान्तर ही 20–21 केबिन लगे हुए है तथा मात्र उसी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं मातहत अदालत द्वारा जो जैर अपील कार्यवाही की गई है वह पक्षपात पूर्ण प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं मातहत अदालत को सभी अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार एकरूपता रखते हुए कार्यवाही की जाने के आदेश दिये जाते है, जिसकी पालना कर रिपोर्ट प्रेषित की जावें।

परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर मातहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 619/2020 बअनवान सरकार बनाम महेन्द्र कुमार में बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करने बाबत पारित आदेश दिनांक 19.08.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 30/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:14 IST
Reason: SelfAttested